न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र सं0 :05 सन 2018
अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र स्व शिवभगवान जाति ब्रहाम्ण निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल वार्ड न0 22 नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्यामलाल 2 हरिसिह 3 सन्तोष कुमार 4 रणजीतसिह 5 रामसिह पुत्रगण स्व जगन्नाथ जाति माली साकिन 25 एनटीआर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेश किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/425(4) के किला न0 25/0.125 ,प0न0 335/425(5) के किला न0 21/0.139 , प0न0 335/426(6) के किला न0 1/.253 ,6/0.228 ,67/3 की 0.025 खाला न0 71/71 की 0.063हैक रास्ता कुल 1.278हैक भूमि मोटाराम पुत्र जसूराम की खातेदारी भूमि थी। मोटाराम के फोत हो जाने के बाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके वारिसान के नाम से दर्ज है

अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय में दावा पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट का पेश किया एवं माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया एवं प्रार्थी के पिता ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट में आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई संयोजित किया एवं प्रार्थी के पिता ने जबाब पेश किया की प0न0 333/427(16) में मोगा लगा हुआ है जिसमें पक्का खाला प0न0 333/425 के किला न0 25 में नाका स्वीकृत तथा प0न0 333/427 के किला न0 5 में नाका स्वीकृत है प0न0 333/425 के लिए प0न0 333/425 के किला न0 2 में बनाया जाना प्रस्तावित है जिसमें गैरसायल बनने नही दे रही है तथा सीएडी विभाग के अधिकारियों के द्वारा भूमि का सर्वे कर कम खर्च से अच्छी सिचाई सुविधा देने के लिये उक्त खाता व नक्का स्वीकृत किया है तथा सायल ने गैरसायाल न0 3 प्रार्थी के पिता खाता व नाका से पानी ना मिले इस उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थीगण/सायल ने एक दावा 167/2008 जस्सासिह बनाम सरकार सिविल न्यायालय नोहर में पेश किया जो दिनांक 22.11..2011 को माननीय न्यायलय ने खारिज कर दिया जिसकी अपील अपर जिला न्यायालय नोहर में की गई जो दिनांक 18.07.2012 को खारीज कर दी गई एवं सिविल न्यायालय से अपील खारिज होने पर प्रार्थी ने सीएडी विभाग को खाला निर्माण करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने बताया की माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है एवं प्रार्थी के पिता ने माननीय न्यायालय में जबाब पेश किया एवं बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्नगत खाला एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर लागू नही होगी तथा सम्बन्धित विभाग खाला निर्माण हेतु स्वतन्त्र रहेगे निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थीगण के खेत में रोही मौजा चक 25 एनटीआर में सिचित भूमि में सन 2007 में सीएडी विभाग द्वार चक प्लान के तहत पक्के खालों का निर्माण किया गया था जिसमें प्रार्थी की भूमि प0न0 335/425 में सिचाई हेतु प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्चा खाला व किला न0 21 में नाका स्वीकृत कर दिया गया एवं उपरोक्त आड एवं नाका जस्सासिह आदि के खेत में आने पर जस्सासिह ने सिविल न्यायालय में दावा किया जो खारीज किया जा चुका है जिसकी अपील अपर जिला न्यायाधीश में की गई जो भी खारिज की जा चुकी है।

अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील संख्या 233/212 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.05.2013 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाकर जिला कलक्टर के समक्ष वादग्रस्त जमीन को सीएडी विभाग द्वारा उपयोग में लिये जाने के औचित्य में ऐतराज प्रस्तुत करेगा एवं सम्बधित जिला कलक्टर सभी पक्षों को सुनकर उपरोक्त नियमों की पालनार्थ कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आगामी दो माह में निरस्तारित करेगा एवं उपरोक्त आदेश की

पालना यदि किसी तकनीकी विभाग की कोई रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक हो उसके लिये सम्बधित कलेक्टर स्वतंत्र है तब तक दोनो पक्ष मौके पर आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाये रखेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 03.03.2014 को निर्णय पारित किया की तकनीकी रूप से प0न0 335/425 के काश्तकार हेत सीएडी विभाग द्वारा पारित चक प्लान उपयुक्त है सिचाई विभाग द्वारा प0न0 334/425 के किला न0 210 से 25 में स्वीकृत किया हुआ जल मार्ग तकनीकी दृष्टि से सही है प्रार्थना पत्र निराधार है खारिज किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में माननीय न्यायालय में दिनांक 31.05.2013 को प्रार्थना पत्र पेश किया की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2013 अनवानी जस्सासिह बनाम सरकार की पालना में अवैध रूप से नका स्वीकृत न किया जाए यदि आपके द्वारा नका स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2013 की अवहेलना की श्रेणी में आवेगी इस आदेश की पालना में कार्यवाही के बाद दिनांक 10.07.2018 को जस्सासिह व प्रार्थी का राजीनामा हो गया एवं प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्ची आड दे दी जो कि मुरब्बा न0 3325/425 को सिचित करने के लिए स्वीकृत है जो कि किला न0 21 ता 24 में आती है प्रार्थी के खेत में स्वीकृत नाका किला न0 21 में तथा कच्चा खाला किला न0 21 ता 24 में देने पर दोनो पक्ष सहमत हो गये है।

-अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम के द्वारा दिनांक 13.07.2018 को कच्ची आड (सडक की उतरी दिशा) निशानत दे दिये गये है परन्तु अप्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना की जा रही है तथा प्रार्थी प0न0 325/425 किला न0 25 में नाका स्वीकृत है जो कि प्रार्थी द्वारा एव अध्यक्ष जल उपयोक्ता सगंम बी के 14–15 द्वारा खूदवा कर चालू कर दिया था परन्तु गैरसायल द्वारा मिटटी डाल कर बन्द कर दिया गया जो माननीय न्यायालय की आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अप्रार्थीगण के द्वारा स्वीकृत नाका को मिटटी डाल कर बन्द करने के कारण अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तीन माह की सजा की जाए एव प्रार्थी के खेत के लिए प्रश्नगत खाला जो सिचाई हेतु उपयोग में खोदा जाना है उसकों सूचारू रूप से खोदने के लिए पुलिस इमदाद दिलवाई जावे एवं अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क कर जुर्माना हर्जाना कारित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण रजिस्टर सम्मन जारी करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील प्रार्थी को सुना गया।

वकील प्रार्थी के अधिवक्तान ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की

रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/425(4) के किला न0 25/0.125 ,प0न0 335/425(5) के किला न0 21/0.139 , प0न0 335/426(6) के किला न0 1/.253 ,6/0.228 ,67/3 की 0.025 खाला न0 71/71 की 0.063हैक रास्ता कुल 1.278हैक भूमि मोटाराम पुत्र जसूराम की खातेदारी भूमि थी। मोटाराम के फोत हो जाने के बाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके वारिसान के नाम से दर्ज है प्रार्थीगण के खेत में रोही मौजा चक 25 एनटीआर में सिचित भूमि में सन 2007 में सीएडी विभाग द्वार चक प्लान के तहत पक्के खालों का निर्माण किया गया था जिसमें प्रार्थी की भूमि प0न0 335/425 में सिचाई हेतु प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्चा खाला व किला न0 21 में नाका स्वीकृत कर दिया गया एवं उपरोक्त आड एवं नाका जस्सासिह आदि के खेत मे से गुजरता था।

अप्रार्थीगण /सायल ने एक दावा 167/2008 जस्सासिह बनाम सरकार सिविल न्यायालय नोहर में पेश किया जो दिनांक 22.11..2011 को माननीय न्यायलय ने खारिज कर दिया जिसकी अपील अपर जिला न्यायालय नोहर में की गई जो दिनांक 18.07.2012 को खारीज कर दी गई एवं सिविल न्यायालय से अपील खारिज होने पर प्रार्थी ने सीएडी विभाग को खाला निर्माण करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने बताया की माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है एवं प्रार्थी के पिता ने माननीय न्यायालय में जबाब पेश किया एवं बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्नगत खाला एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर लागू नही होगी तथा सम्बन्धित विभाग खाला निर्माण हेतु स्वतन्त्र रहेगे निर्णय पारित किया गया।

Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में माननीय न्यायालय में दिनांक 31.05.2013 को प्रार्थना पत्र पेश किया की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2013 अनवानी जस्सासिह बनाम सरकार की पालना में अवैध रूप से नका स्वीकृत न किया जाए यदि आपके द्वारा नका स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2013 की अवहेलना की श्रेणी में आवेगी इस आदेश की पालना में कार्यवाही के बाद दिनांक 10.07.2018 को जस्सासिह व प्रार्थी का राजीनामा हो गया एवं प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्ची आड दे दी जो कि मुरब्बा न0 3325/425 को सिचित करने के लिए स्वीकृत है जो कि किला न0 21 ता 24 में आती है प्रार्थी के खेत में स्वीकृत नाका किला न0 21 में तथा कच्चा खाला किला न0 21 ता 24 में देने पर दोनो पक्ष सहमत हो गये है।

अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम के द्वारा दिनांक 13.07.2018 को कच्ची आड (सडक की उतरी दिशा) निशानत दे दिये गये है परन्तु अप्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना की जा रही हैं तथा प्रार्थी प0न0 325/425 किला न0 25 में नाका स्वीकृत है जो कि प्रार्थी द्वारा एव अध्यक्ष जल उपयोक्ता सगंम बी के 14–15 द्वारा खूदवा कर चालू कर दिया था परन्तु गैरसायल द्वारा मिटटी डाल कर बन्द कर दिया गया जो माननीय न्यायालय की आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अप्रार्थीगण के द्वारा स्वीकृत नाका को मिटटी डाल कर बन्द करने के कारण अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तीन माह की सजा की जाए एव प्रार्थी के खेत के लिए प्रश्नगत खाला जो सिचाई हेतु उपयोग में खोदा जाना है उसकों सूचारू रूप से खोदने के लिए पुलिस इमदाद दिलवाई जावे एवं अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क कर जुर्माना हर्जाना कारित किया जावे।

हमने वकील प्रार्थी को सुना प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/425(4) के किला न0 25/0.125 ,प0न0 335/425(5) के किला न0 21/0.139 , प0न0 335/426(6) के किला न0 1/.253 ,6/0.228 ,67/3 की 0.025 खाला न0 71/71 की 0.063हैक रास्ता कुल 1.278हैक भूमि मोटाराम पुत्र जसूराम की खातेदारी भूमि थी। मोटाराम के फोत हो जाने के बाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके वारिसान के नाम से दर्ज है प्रार्थीगण के खेत में रोही मौजा चक 25 एनटीआर में सिचित भूमि में सन 2007 में सीएडी विभाग द्वार चक प्लान के तहत पक्के खालों का निर्माण किया गया था जिसमें प्रार्थी की भूमि प0न0 335/425 में सिचाई हेतु प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्चा खाला व किला न0 21 में नाका स्वीकृत कर दिया गया एवं उपरोक्त आड एवं नाका जस्सासिह आदि के खेत मे से गुजरता था।

अप्रार्थीगण /सायल ने एक दावा 167/2008 जस्सासिह बनाम सरकार सिविल न्यायालय नोहर में पेश किया जो दिनांक 22.11..2011 को माननीय न्यायलय ने खारिज कर दिया जिसकी अपील अपर जिला न्यायालय नोहर में की गई जो दिनांक 18.07.2012 को खारीज कर दी गई एवं सिविल न्यायालय से अपील खारिज होने पर प्रार्थी ने सीएडी विभाग को खाला निर्माण करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने बताया की माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है एवं प्रार्थी के पिता ने माननीय न्यायालय में जबाब पेश किया एवं बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्नगत खाला एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर लागू नही होगी तथा सम्बन्धित विभाग खाला निर्माण हेतु स्वतन्त्र रहेगे निर्णय पारित किया गया।

इसी दौरान जस्सासिह अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील संख्या 233/212 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.05.2013 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाकर जिला कलक्टर के समक्ष वादग्रस्त जमीन को सीएडी विभाग द्वारा उपयोग में लिये जाने के औचित्य में ऐतराज प्रस्तुत करेगा एवं सम्बधित जिला कलक्टर सभी पक्षों को सुनकर उपरोक्त नियमों की पालनार्थ कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आगामी दो माह में निरस्तारित करेगा एवं उपरोक्त आदेश की पालना यदि किसी तकनीकी विभाग की कोई रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक हो उसके लिये सम्बधित कलेक्टर स्वतंत्र है तब तक दोनो पक्ष मौके पर आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाये रखेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 03.03.2014 को निर्णय पारित किया की तकनीकी रूप से प0न0 335/425 के काश्तकार हेत सीएडी विभाग द्वारा पारित चक प्लान उपयुक्त है सिचाई विभाग द्वारा प0न0 334/425 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किला न0 210 से 25 में स्वीकृत किया हुआ जल मार्ग तकनीकी दृष्टि से सही है प्रार्थना पत्र निराधार है खारिज किया गया।

प्रार्थी के द्वारा राजीनामा के अनुसार दिनांक 10.07.2018 को जस्सासिह व प्रार्थी का राजीनामा हो गया एवं प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्ची आड दे दी जो कि मुरब्बा न0 3325/425 को सिचित करने के लिए स्वीकृत है जो कि किला न0 21 ता 24 में आती है प्रार्थी के खेत में स्वीकृत नाका किला न0 21 में तथा कच्चा खाला किला न0 21 ता 24 में देने पर दोनो पक्ष सहमत हो गये थे।

अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम के द्वारा दिनांक 13.07.2018 को कच्ची आड (सडक की उतरी दिशा) निशानत दे दिये गये है परन्तु अप्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना करते हुए प्रार्थी प0न0 325/425 किला न0 25 में नाका स्वीकृत है जो कि प्रार्थी द्वारा एव अध्यक्ष जल उपयोक्ता सगंम बी के 14–15 द्वारा खूदवा कर चालू कर दिया था को मिटटी डाल कर बन्द कर दिया गया जो न्यायोचित नही है। किन्तु प्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया की उक्त खाला मिटटी डालकर किसके द्वारा बन्द किया गया है बिना ठोस आधार के दण्डित किया जाना न्यायोचित नही है।

रोही मौजा चक 25 एनटीआर में सिचित भूमि में सन 2007 में सीएडी विभाग द्वार चक प्लान के तहत पक्के खालों का निर्माण किया गया था जिसमें प्रार्थी की भूमि प0न0 335/425 में सिचाई हेतु प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्चा खाला व किला न0 21 में नाका स्वीकृत किया गया था जिसकी विभिन्न न्यायालयों में अपील होने के उपरान्त अन्त में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील प्रस्तुत हुई जिसमें माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 27.05.2013 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 03.03.2014 को उक्त नाका/आड को तकनीकी रूप से भी सही माना गया है।

इसप्रकार विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के उपरान्त सीएडी विभाग के द्वारा रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 335/425 में सिचाई हेतु प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्चा खाला व किला न0 21 में नाका स्वीकृत किया गया है वह उचित में तकनीकी दृष्टि से भी सही माना गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के मध्यनजर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सीएडी विभाग के द्वारा रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 335/425 में सिचाई हेतु प0न0 334/425 के किला न0 21 ता 25 तक कच्चा खाला व किला न0 21 में नाका स्वीकृत किया गया था को मौके पर यदि मिटटी डाल कर बन्द कर दिया गया तो उसे प्रार्थी खूदवा चालू करवा सकता है उक्त खाला/नका चालू करने के समय सीएडी विभाग का प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा यदि उक्त नाका /खाला चालू करने के समय किसी काश्तकार के द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो सीएडी विभाग/प्रार्थी पुलिस ईमदाद प्राप्त करने का अधिकारी होगा एवं जस्सासिह एवं उसके वारिसान तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि सीएडी विभाग के द्वारा स्वीकृत नका/आड की खूदाई/चालू करने के समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही की जावे अन्यथा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी माना जाकर सिविल कारावास से भी दण्डित किया जा सकता है। आदेश की प्रति सीएडी विभाग नोहर /थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावें।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Web Copy - Not Official